संख्या-09/2020/एम-34/बावन-4-2020

प्रेषक,

जे०पी० सिंह,

विशेष सचिव,

उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2020**

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-एम०एस०-41/52-4-2017, दिनांक 26.12.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में हो रही कठिनाईयों का निराकरण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-217, दिनांक 27.01.2014 के अनुसार छः समुदाय (मुस्लिम , सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है।

3- अतः इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करते हुए इसे सरल एवं शीघ्र निर्गमन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(जे०पी० सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-09/2020/एम-34/बावन-4-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- प्रमुख सचिव, श्री राज्य पाल, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।